राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsgraj.org

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ESPIC/15/ 639 दिनांक :– 01/01/16

दिशा–निर्देश परिपत्र

स्ट्रीट लाईटस हेतु उर्जा बचत प्रोजेक्ट (LED light) की कियान्विति के लिये दिशा–निर्देश

राज्य के विभिन्न निकायों के विद्यमान स्ट्रीट लाईटस (ट्यूब लाईट व सोडियम लाईट) के स्थान पर नवीनतम तकनीकी युक्त व उर्जा बचत वाली लाईटे (LED Light) लगाने का कार्य प्रारम्भ हो जा चुका है। यह राज्य के लिये एक नया प्रोजेक्ट है इस लिये कार्य सम्पादन में कई तरह की परेशानियां, शंकाऐं होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट को सफलता पूर्ण लागू करने के लिये सभी स्थानीय निकायों, व एनर्जी एफिसिऐन्सी सर्विसेज लि० (EESL) को निम्नानुसार दिशा–निर्देश दिये जा रहे है।

स्थानीय निकायों के दायित्व

1. सभी निकायों में स्थित बिजली के खम्भे व Street Lights यथा हाई मास्ट लाइटे, 250 वाट सोडियम, 150 वाट सोडियम, टयूबलाइट इत्यादि की गणना करावें ।
2. सभी मार्गों पर स्थित स्ट्रीट लाईट के टूटे हुए पोल की जगह नए पोल लगवाये जावें ।
3. विभिन्न स्थानों पर रोड लाइट की क्षतिग्रस्त/जली हुई भूमिगत केबल के स्थान पर नई केबल लगवाई जावें तथा जहां अर्थिंग (Earthing) नही है वहा अर्थिंग का कार्य कराया जावे
4. विभिन्न स्थानों पर टुटे हुए/क्षति ग्रस्त फ्यूज बोक्स, फीडर पेनल/मेन पेनल के स्थान पर नए लगाए जाय
5. जिन खम्भो पर फेज वायर नहीं है उन खम्भो पर LED Light लगाने से पूर्व फेज वायर लगाने का कार्य पूर्ण किया जावें ।
6. जिन स्थानों पर रोड लाईट के विद्युत कनेक्शन नहीं हैं वहां पर संबंधित डिस्कोम से विद्युत कनेक्शन लिया जावें व सभी विद्युत कनेक्शनों पर मीटर लगवाये जावें ।

7. सभी विद्युत कनेक्शन पर "मैनुएल" की जगह "टाईम स्विच" लगा दिये जावें ताकि सभी लाइटें निर्धारित समय पर स्वतः ऑन/ऑफ हो सकें ।

8. जब तक LED प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक विधमान सोडियम व टयूब लाईट का रखरखाव का कार्य निकाय द्वारा अपने स्तर से किया जावें । LED कार्य पूर्ण होने के पश्चात LED का संधारण "EESL" द्वारा किया जायेगा । इस बाबत "EESL" द्वारा प्रत्येक स्थानीय निकाय में एक जिम्मेदार व्यक्ति मय पर्याप्त स्टाफ के द्वारा LED लाईट का रखरखाव कार्य सम्पादित किया जायेगा ।

9. स्थानीय निकाय "EESL" के प्रतिनिधि को कार्य सम्पादन में पूर्णरूपेण सहयोग करेगी

10. स्थानीय निकाय एवं इइएसएल के मध्य किसी भी मतभेद को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दूर किया जायेगा ।

11. स्वायत्त शासन विभाग द्वारा थर्ड पार्टी जांच हेतु " राजस्थान इलैक्टोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट लि0 " (REIL) को मनोनित किया गया है। वह एजेन्सी विद्युत उपभोग में बचत, लक्स एव कम्पनी द्वारा लगाये गये LED की गुणवता की निष्पक्ष जांच कर अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी। REIL का खर्चा वास्तविकता के आधार पर होगा व खर्चा प्रोजेक्ट लागत मे जोडा जायेगा । REIL को भुगतान भी प्रोजेक्ट के भुगतान के साथ किया जायेगा ।

12 सम्बधित निकाय LED लाईट प्रोजेक्ट हेतु अपने अधीन अभियन्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी जो इस प्रोजेक्ट के कार्य की देखरेख करेगा,। कम्पनी द्वारा लगाये जा रहे सामान की गुणवता की भी जांच करेगा।

13 सम्बधित निकाय अपने क्षेत्र में लगी रोड लाईट के विवरण (Data) निर्धारित प्रोफॉर्मा में निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें। विलम्ब की पूर्णरूपेण जिम्मेदारी स्थानीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की होगी।

14 सम्बधित निकाय अपने नगर निगम/पालिका क्षेत्र में LED लाईट प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण होने के बारे में सूचित करेगें की उनके क्षेत्र में कितनी LED लाईट लगी ।

15 जिन सम्बधित निकायों में कार्य प्रगति पर है वे निकाय प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को इस कार्यालय को प्रगति ई–मेल द्वारा (espcdlbjp@gmail.com) पर भेजेगें।

16 सभी निकायो में LED लाईट प्रोजेक्ट लागू होने पर थर्ड पार्टी एजेन्सी REILसे उर्जा बचत की गणना , लक्स की माप एवं LED लाईट की गुणवता की जांच करवाकर एक प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगें। LED लाईट लगने के पश्चात विद्युत उपभोग में कितनी प्रतिशत कमी आई इसकी सूचना निर्धारित प्रफॉर्मा में देगें ।

17 सम्बधित निकाय द्वारा Inventory list में डायरेक्ट पोईन्टस अर्थात बिना फेज वायर वाले खम्बों पर स्थित सोडियम लाइट/ट्यूब लाइट की संख्या प्रथक से अंकित करें । इन डायरेक्ट पोइन्ट पर लगी लाइटों के स्थान पर जो LED light लगाई जावेगी । ऐसी प्रत्येक लाईट में फोटो सेन्सर "EESL" द्वारा लगाई जाये ताकि ये सभी लाइटें प्रतिदिन स्वतः ऑन/ऑफ हो सकें।

<u>इइ.एस.एल.</u> (EESL) <u>*के दायित्व*</u>

1. "EESL" कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व Conventional Lights का वास्तविक विद्युत उपभोग की गणना कर "बेसलाइन" तैयार करेगी व LED लाईट लगाने के पश्चात आये विद्युत उपभोग के आधार पर उपभोग में आई कमी का प्रतिशत निकाल कर तथा लक्स में आये सुधार के बारे में भी इस कार्यालय को सूचित करेगी।

2. "EESL" जिन स्थानीय निकायों में कार्य कर रहा है उनकी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को, इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में Mail द्वारा भेजेगा तथा जहां कार्य पूर्ण हो गया है वहां के सम्बधित निकाय एवं "EESL" के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर युक्त कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को देगा।

3. इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के पश्चात से 7 वर्ष तक संधारण "EESL" द्वारा किया जावेगा जिसका की भुगतान MoU के शर्तो के अनुसार किया जावेगा । अगर संधारण में कोई विलम्ब होता है तो MoU के अनुरूप शास्ती आरोपित की जावेगी ।

4. सभी रोड लाइटें सेन्ट्रल कन्ट्रोल मोनिटरिग सिस्टम (CCMS) पेनल से जोडा (connect) जावेगा ताकि बंद लाइटों का विवरण मिल सके एवं उनके सुधार हेतु कार्यवाही समय पर की जा सके । इसके अतिरिक्त "EESL" आमजन की शिकायतों हेतु एक कन्ट्रोल रूम स्थापित करेगा । कन्ट्रोलरूम के लिये जगह सम्बधित निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

5. EESL जब भी प्रोजेक्ट लागत का बिल प्रस्तुत करेगा उसके साथ उससे संबंधित समस्त दस्तावेज संलग्न करेगा।

6. EESL द्वारा प्रोजेक्ट कार्य MoU में अंकित प्रावधान व शर्तों के अनुरूप पूर्ण किया जावें तथा समयबद्व (Time bound implementation Plan) कार्य सम्पादन का चार्ट डीएलबी एवं संम्बधित निकाय को प्रस्तुत करेगें।

उक्त दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव,

क्रमांक :– .एफ 55( )Engg./CE/DLB/ESPIC/15/ 640 – 840

दिनांक :– 01/01/16

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ।
3. श्री सौरभ कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर, एनर्जी एफिसिएन्सी सर्विस लि0 चतुर्थ तल IWAI बिल्डिंग, A-13 सेक्टर–1, नोएडा–201301 (यू0पी0)
4. मैनेजिंग डायरेक्टर, REIL,2 कनकपुरा औधोगिक क्षेत्र , सिरसी रोड, जयपुर
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग ....
6. आयुक्त,/ अधीशासी अधिकारी नगर निगम/ परिषद/ पालिका ....
7. रक्षित पत्रावली ।

2016/01/01
(के.के.शर्मा)
मुख्य अभियंता

LED LIGHT PROJECT REVISED DATA PERFORMA

Name of ULB

Existing Inventory HPSV, CFL, ICL, HPMV etc.	Unit	40 W	70 W	100 W	150 W	250 W	400 W	Any Other		
								65 W	85 W	36 W
CFL										
Tube Light										
Sodium Light										
Others										

Annual Payment of Electricity bill for all the street light Under ULB Rs.	
Annual Payment of maintenance of street lights Rs.	
Tariff Rate	
Whether Payment is on units Consumed or Connected Load	
Annual Electricity Consumption (in units)	
No of poles without light, where phase wire is existing.	
No of direct points i.e. street lights without phase wire.	
Total No of switching panels from where ON/ OFF operation is being done for street light.	
No of switching panels having energy meters.	
No of switching panels without energy meters.	
Operating Hours per day. (12 Hrs)	
Commissioner /E.O Mobile No.	
Email Id	

Note :- If energy meter not available for street light connection, then apply for street light connection to concerned Discom office and get authorized electric connection with energy meter.

(Signature)
Commissioner / Executive officer